न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 34/2025 बउनवानी बबलूराम **बनाम** लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी निवासी आर्दश नगर,कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2025/ 135

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17.6.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***खतरा 5648,6449, 5669,5670 वाके ग्राम उदेई कलां की भूमि के संबध में 6 बिन्दुओ मे चाही गयी प्रमाणित सूचना*** " तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2025/289 दिनांक 3.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.3.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक/आरटीआई/2025/289 दिनांक 3.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण दिया जाना सम्भव नही होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इस प्रकार चाही गयी सूचना के संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलन्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:15:09 IST
Reason: SelfAttested